BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 11 OF 2022

IN THE MATTER OF:

BAKIR ALI RANGWANA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH …..RESPONDENT(S)

INDEX

SR. NO	**PARTICULARS**	**PAGE NO.**
1.	Factual and Action Taken Report dated 28.01.2024 in compliance of order dated 05.12.2023 issued by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A No. 11/2022(CZ) (Bakir Ali Rangwana versus State of MP & Others.).	1-18

DATE: 29.01.2024

BHOPAL

Reply for Hon'ble NGT Origingal Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"

In compliance of Hon'ble NGT (CZ) Bhopal vide its order dated 05-12-2023 in Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh, Regional Office M.P. Pollution Control Board has imposed the environmental compensation of Rs. 300 Lakh (Three Crore only) against Ujjain Municipal Corporation vide letter no. 1908 dated 24-01-2024. Copy of letter is annexed as **Annexure – 1.** Reply submitted by Ujjain Municipal Corporation vide their letter no. 86 dated 25-01-2024 is annexed as **Annexure – 2.**

(Anukool Jain)

ADM, Ujjain

Annexure-1

Regional office
Madhya Pradesh Pollution Control Board
17, Bharatpuri Ujjain, Telephone no. 0734-2510984
Email id: romppcb_ujjain@yahoo.co.in

S. No.1908/MPPCB/RO/2024/ Ujjain, Dated 24/01/24

To,

The Commissioner,
Ujjain Municipal Corporation
District- Ujjain (M.P)

Sub:- Imposition of Environmental Compensation as per the directions passed by Hon'ble NGT vide its order dated 05.12.2023 in O.A. No. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala vs State of MP and ors, Notice thereof.

WHEREAS, MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS, you are the Urban Local Body- Ujjain Municipal Corporation and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies to ensure that there is no discharge of untreated sewage water in the water bodies , as well as it is the prime duty of the ULB to manage the city sewage.

WHEREAS, as per the report submitted by you, the STP is on partial trial and run condition. It is evident that you have failed to commission the Sewage Treatment Plant to reduce the load of pollution on recipient water bodies within the stipulated time and under these circumstances the possibilities are there to intermingle/ drain of sewage into Govardhan Sagar during rainy season.

WHEREAS, as per the directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 07.09.2022 in OA 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala Vs State of Madhya Pradesh and ors", MPPCB has imposed Environmental Compensation of Rs. 150 Lakh (One Crore Fifty Lakh) vide letter no. 4243 dated 02.11.2022 which is not deposited by you till date.

WHEREAS, Hon'ble NGT vide order dated 09.11.2023 in OA 11/2022 (CZ) in "Bakir Ali Rangwala Vs State of Madhya Pradesh and ors" has directed as under:

"State Pollution Control Board is directed to calculate the environmental compensation in accordance to the rules proceed to realise it and to submit the report and further action taken by the authorities concerned for remedial action"

(2)

WHEREAS, in the matter of OA No 11/2022 (CZ), "Bakir Ali Rangwala Vs State of Madhya Pradesh and ors" Hon'ble Tribunal is dealing with the issue of encroachment on the site of Govardhan Sagar and discharge of untreated sewage water into the pond. Hon'ble Tribunal vide its order dated 05.12.2023 has directed as under:

"The State Pollution Control Board has filed the calculation of the environmental compensation as communicated to the Member Secretary, MPPCB. We direct the State PCB to proceed to realise the environmental compensation according to rules and further action taken report be filed within three weeks"

THEREFORE, MPPCB has re-calculated the amount of environmental compensation liable to be paid by you based on the guidelines laid down by NGT in its order dated 25/02/2020 passed in OA 606/2018. The period of violation has been calculated from 01-07-2021 to 31-12-2023. As per the above mentioned guidelines you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rs 300 lakh (Three Crore only) for violation of Environmental Laws.

You are hereby, given an opportunity of hearing and submit your reply/objection (if any) pertaining to above stated computation of Environmental Compensation within 15 days. In case no reply is received within 15 days from the date of issue of notice, above proposed Environmental Compensation shall be confirmed.

AND in case of failure, action is liable to be initiated against you under The Water (Prevention & Control of Pollution) Act of 1974 and other relevant Acts/Provisions.

For and on behalf of MPPCB

(H.K. Tiwari)
Regional Officer, Ujjain

Endt. No. 1309 /MPPCB/RO/2024/ **Ujjain, Dated 24/01/24**

Copy to,

1. The Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, E-5 Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal (M.P) for information please
2. The District Collector, Ujjain (M.P) for information please

(H.K. Tiwari)
Regional Officer, Ujjain

O/C

Annexure-2

(3)

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन

क्रमांकः–86 उज्जैन दिनांकः–25.01.2024

प्रति,

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक–11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 05/12/2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1881/एडीएम/रीडर/2024 उज्जैन दिनांक 17/01/2024 के संबंध में।

––00––

विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक–11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में आगामी तिथित दिनांक 29/01/2024 नियत की गई है। उक्त प्रकरण के संबंध में पालन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो पत्र के संलग्न प्रेषित है।

अतः संदर्भित पत्र के क्रम में आगामी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– 1 पालन प्रतिवेदन।
2 प्रचलित न्यायालीन प्रकरणों की सूची।
3 जिला एवं सत्र न्यायालय का पारित आदेश की छायाप्रति।

25/1/2024
अधीक्षण यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

क्रमांकः– उज्जैन दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

(4)

Reply for Hon'ble NGT Origingal Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" for order dated 5/12/23

Report regarding encroachments and civil cases

In regards to removal of encroachment, following due process encroachment of 28 temporary shops and 08 permanent constructions were removed, in addition to this encroachment of Boundary wall of VD market Parking was also removed.

As per survey list of encroachments/constructions present over land of survey number 1281 provided by district administration, residents of Vikram cloth market, enlisted in above list from Sno. 24 to Sno. 75 it total 52 had challenged the survey report and have submitted petitions in local court (list enclosed annexure -1) asking relief as above properties are located in survey number 1312 and not in survey number 1281. In continuation to this court has orderd to maintain status quo against any kind of demolition (order sheet dated 17.02.2023 enclosed annexure -2) based on following facts:

1) As per point 4 of above order sheet, responded Ujjian nagar nigam has requested that, action being taken by responded are under order of Honorable NGT an neither petitioner has the right to apply nor court has the jurisdiction to hear such petition.
2) As per point 12 of above order sheet, responded has provided demarcation report of 1281, Panchnama, field book, list of construction but have not provided any information notice regarding demarcation to petitioner of any other affected person. And thus, demarcation is not binding on petitioner. Also tehsildar Ujjain has submitted that demarcation of survey number 1312 in not possible (point 10 of above order sheet).

   "12- ......उक्त सीमाकन रिपोर्ट के साथ पंचनामा नक्शा एवं फील्ड बुक तथा सर्वे न. 1281 मे निर्मित संरचनाओ की सूची सलग्न की गई है परंतु उक्त सीमांकन के समय वादी को या अन्य व्यक्तियों को जिनके द्वारा सर्वे नं. 1201 पर निर्माण करना बताया गया है. को सीमांकन करते समय कोई नोटिस दिया गया हो या उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया हो. ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त स्थिति में उक्त सीमांकन वादी पर बंधनकारी होना दर्शित नहीं होता है। उक्त सीमाकन के समय वादी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कियो गया है। पूर्व में स्वयं तहसीलदार उज्जैन के द्वारा न्यायालय में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सर्वे नं. 1312 का सीमांकन किया जाना संभव नहीं है।....."

3) As per point 13 of above order sheet, honerable NGT has ordered to remove encroachment from Govardhan sagar survey number 1281, but the petitioner's is built inside Vikramadity cloth market which is on located on survey number 1312/1 and 1312/2. Also, on first observation demarcation done appears to be not done as per law: -

   "13- ....माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा प्रतिवादीगण को गोवर्धन सागर जो कि सर्वे नं. 1281 पर स्थित है पर अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया है परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित दुकान विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में स्थित है। जो कि सर्वे नं. 1312/1 व 1312/2 पर स्थित है प्रतिवादी के द्वारा जो सीमाकन प्रस्तुत किया गया है। यह प्रथम दृष्टया नियमानुसार किया जाना दर्शित नहीं होता है।......"

4) As per point 16 of above order sheet, court has ordered to maintain status quo against any kind of demolition

   " 16- उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धात वादीगण के पक्ष में होने से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2

(5)

सहपठित धारा-151 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से भूखण्ड क डी-25 तथा भवन क. 19. विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट फाजलपुरा उज्जैन में कोई तोडफोड या हस्तक्षेप न करें। "

All the petitions as per above enclosed list (annexure -1)is pending for evidence in court. The remaining encroachment will be removed in accordance with Law.

5. Arrangements to divert untreated sewage

Presently untreated sewage water is diverted from going in Govardhan Sagar using following measures

a) Sewage water of VD cloth market is going in Septic tank which is cleaned regularly through Pumping.

b) For drains coming from Gyan Tekri and Nagarkot Mandir soak pits and filter media have been constructed to stop untreated water to enter in Govardhan Sagar. Flow coming from Patel Nagar does not merge in Govardhan Sagar.

UMC has made this temporary arrangement to stop the direct flow of untreated sewage water in Govardhan Sagar up to the completion of sewerage network in said area

for point. No. 5 only.

Zonal Officer (Zone 2)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)

Building Officer(Zone 2)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)

Annexure - 1 (6)

कार्यालय, उज्जैन नगर पालिक निगम

झोन क्रमांक – 2

गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 से संबंधित न्यायालीन प्रकरण

क्र.	पटवारी सूची का नाम क्र.	नाम	पिता/पति	पता	जिला एवं सत्र न्यायालय प्रकरण क्र.	न्यायालीन प्रकरण में जवाब की स्थिति	रिमार्क
1	25	राधिका	अमोल झालानी	D-02, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/622/2022	जवाब पेश किया गया	
2	26	राधिका	अमोल झालानी			जवाब पेश किया गया	
3	27	राकेश गप्ता		D-04, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/619/2022	जवाब पेश किया गया	
4	28	राजेश गुप्ता		D-04, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/619/2022	जवाब पेश किया गया	
5	29	किरण	जिनेश कुमार	D-05, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/30/2023	जवाब पेश किया गया	
6	30	जितेश गोहिल	मिंटूलाल	D-06, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/31/2023	जवाब पेश किया गया	
7	31	सुशील कुमार	मनीष कुमार	D-07, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/596/2022	जवाब पेश किया गया	
8	33	हस्तीमल	राजमल गादिया	D-09, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/32/2023	जवाब पेश किया गया	
9	34	राजेन्द्र कुमार	सरदारमल	D-10, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/24/2023	जवाब पेश किया गया	
10	35	गोविन्द प्रसाद	प्रभुदयाल	D-11, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/19/2023	जवाब पेश किया गया	
11	36	गोपालदास	चतुरमल	D-12, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/27/2023	जवाब पेश किया गया	
12	37	माणकलाल	चम्पालाल	D-13, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/18/2023	जवाब पेश किया गया	
13		दिलीप कोठारी	माणकलाल			जवाब पेश किया गया	
14	38	किरण जैन	दिलीप कोठारी	D-14, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/10/2022	जवाब पेश किया गया	
15	39	रमेश बागवानी		D-15, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/617/2022	जवाब पेश किया गया	
16	40	कैलाशचन्द्र	समरथमल	D-16, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/520/2022	जवाब पेश किया गया	
17	41	उषा जैन	नरेन्द्र जैन	D-17, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/544/2022	जवाब पेश किया गया	
18	42	प्रकाशचन्द्र	मांगीलाल महेश्वरी	D-18, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/16/2023	जवाब पेश किया गया	
19	43	गोपाल	रामनिवास	D-19, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/38/2023	जवाब पेश किया गया	
20	44	जयराम जयसिंघानी	गोपालदास	D-20, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/15/2023	जवाब पेश किया गया	
21	45	आशीष कुमार	पूरनमल	D-21, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/17/2023	जवाब पेश किया गया	
22	46	उमा जयसिंघानी	जयराम जयसिंघानी	D-22, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/21/2023	जवाब पेश किया गया	
23	47	ब्रजलाल पलोड़		D-23, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/618/2022	जवाब पेश किया गया	
24	48	प्रशान्त	सुभाषचन्द्र अग्रवाल	D-24, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/620/2023	जवाब पेश किया गया	
25	49	सुभाषचन्द्र जैन	शांतिलाल	D-25, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/28/2023	जवाब पेश किया गया	

गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 से संबंधित न्यायालीन प्रकरण							
26	50	श्रद्धा जैन	विशाल जैन	D-26, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/03/2023	जवाब पेश किया गया	
27	51	विशाल जैन(मांगीलाल)	महावीर जैन(शोभाराम)	D-27, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/616/2022	जवाब पेश किया गया	
28	52	सुनीता	महावीर जैन	D-29, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/02/2023	जवाब पेश किया गया	
29	53	महावीर जैन	मांगीलाल जैन	D-28, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/543/2022	जवाब पेश किया गया	
30	54	नारायणदास	सेवकराम	D-30, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/33/2023	जवाब पेश किया गया	
31	55	पूजा जैन	वैभव जैन	D-31, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/04/2023	जवाब पेश किया गया	
32	56	दिनेश भावसार		D-32, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/22/2023	जवाब पेश किया गया	
33	57	दुर्गा (सुनील)	नारायणदास	D-33, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/595/2022	जवाब पेश किया गया	
34	58	पीरूलाल कोचर	राजमल कोचर	D-34, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/23/2023	जवाब पेश किया गया	
35	59	राजकुमार	हिम्मललाल अचलिया	D-35, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/594/2022	जवाब पेश किया गया	
36	60	उषा	ज्ञानचन्द कोचर	D-35, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/37/2023	जवाब पेश किया गया	
37	61	मनीष कोठारी		D-37-38, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/481/2023	जवाब पेश किया गया	
38	63	मो. उस्मान	जहूर अहमद	D-39, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/25/2023	जवाब पेश किया गया	
39	64	मो. इमरान	मो. शरीफ	D-40, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/29/2023	जवाब पेश किया गया	
40	65	अजय कुमार जैन	सबमरमल जैन	D-41, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/34/2023	जवाब पेश किया गया	
41	66	अ. हमिद(प्रीती जैन)	निसार मोहम्मद (सपन जी जैन)	D-42, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/39/2023	जवाब पेश किया गया	
42	67	खेरूनिसा	मंजूर अहमद	D-43, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/26/2023	जवाब पेश किया गया	
43	68	राजकुमार	आनन्दीलाल	D-44, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/36/2023	जवाब पेश किया गया	
44	69	सुनील	हस्तीमल गादिया	D-45, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/09/2023	जवाब पेश किया गया	
45	71	पंकज परमार	मनोहर परमार	D-47, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/610/2022	जवाब पेश किया गया	
46	72	सुशीला	महेन्द्र जैन	D-49, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/35/2023	जवाब पेश किया गया	
47	73	सुशीला	महेन्द्र जैन			जवाब पेश किया गया	
48	74	रितेश अहुजा	जवाहर अहुजा	D-50, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/14/2023	जवाब पेश किया गया	
49	75	सुमित अहुजा	जवाहर अहुजा	D-51, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/542/2022	जवाब पेश किया गया	
50	24	अब्दुल मुख्तलिफ	अब्दुल रहमान	D-01, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		जवाब पेश किया गया	
51	85	राजेन्द्र मकवाना		गणेश टेकरी	RCSA/563/2022	जवाब पेश किया गया	
52	22	अनिल	मुन्नालाल जोशी		IA No. 7414/2022		

8

गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 से संबंधित न्यायालीन प्रकरण

53	3	रामरतीबाई	रुपसिंह		RCSA/558/2022	जवाब पेश किया गया	
54	4	जे.के. सक्सेना आभा	जितेन्द्र		RCSA/556/2022	जवाब पेश किया गया	
55	5	जितेन्द्र	गोविन्दसिंह		RCSA/557/2022	जवाब पेश किया गया	

(9)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन (म.प्र.)

कमांक– 1881 —/एडीएम/रीडर/2024 उज्जैन,दिनांक 17/1/2024

प्रति,

1. आयुक्त, नगरपालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर उज्जैन (म.प्र.)
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच व्दारा प्रकरण कमांक–11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में ।

—

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच व्दारा प्रकरण कमांक–11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

2. It is further reported that encroachments (28 shops and 07 permanent constructions) were removed and for rest of the matters some interim order has been passed by the Civil Court. Being the Collector of the District headquarter it is the pious legal duty of the collector to protect the State land from encroachments.
3. No proper reply has been submitted as to whether any authority has moved to the concerned court for vacation of stay order or to file an appeal of revision against the order. No application or no revision of appeal means the state authorities are not aggrieved by the order which directly and indirectly cast stigma on the working.
4. However, without going on merit of the civil case we further direct the Collector being custodian of the State property to take necessary action for removal of the encroachments according to rules.
5. Rest of the matters like project, tender, connecting with the Amrut Yojna are administrative matters which may be decided and finalised by the administration according to the rules.
6. Only thing concerned with this Tribunal is to ensure that no untreated water should be discharged into the water bodies, polluting the river stretches or the ponds.
7. The State Pollution Control Board has filed the calculation of the environmental compensation as communicated to the Member Secretary, MPPCB. We direct the State PCB to proceed to realise the environmental compensation according to rules and further action taken report be filed within three weeks.

प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 29.01.2024 को नियत है। उक्त आदेश के अनुपालनार्थ कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी)
जिला उज्जैन

Annex-2 (10)

नोटशीट प्रष्ठ क्रमांक --------------------

नस्ती क्रमांक ---------------

विभाग:-------विधि-----------------

विषय: आदेश प्रति

लिपिक का नाम ----महेश राठोर------

अधिकारी का नाम ------------ प्रभारी अधि. झो. क्र. 2

-निरन्तर प्रस्ताव एवं आज्ञाएँ-

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय
झोन क्र. 02 न.पा.नि. उज्जैन

विषय:- गोवर्धन सागर के सर्वे क्र. 42 में
गोपालदास मारवाड़ी के आदेश के प्रति

महोदय
उपरोक्त विषयांतर्गत है कि गोवर्धन
सागर के सर्वे क्र. 128) पर अतिक्रमण से संबंधित
स्थगन आदेश (स्टे) प्रस्तुत आपकी ओर से
कि अग्रिम कार्यवाही हेतु।

BOZ-2

O/C
पूनम सिसोदिया
25/05/23

P.E. 25.05
भवन अधिकारी

भवन अधिकारी
अभिभाषक
नगर पालिक निगम, उज्जैन

नगर पालिक निगम, उज्जैन

(11)

C.A. 7092/08/05/2023

गोपालदास विरुद्ध नगर पालिका निगम 1 व्यवहार वाद कमांक–27ए/23

:: न्यायालय — चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन (म0प्र0) ::

(समक्ष—वीरेन्द्र वर्मा)

Registration no-RCS-A/27/2023
Filing no.-2507/2022
CNR NO-MP1301-015569-2022
Filing date-24-12-2022

गोपालदास पिता श्री चेतुमलजी माखीजा
उम्र— 56 वर्ष, निवासी— 4, गोरधनधाम नगर,
उज्जैन म.प्र.।

..............................वादी ।

वि रू द्ध

01. उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा आयुक्त महोदय, कोयला फाटक छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन।

02. श्रीमान् आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम उज्जैन कोयला फाटक छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड उज्जैन म.प्र.।

03. भवन अधिकारी, झोन कं. 2, नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र.।

04. विकमादित्य क्लॉथ मार्केट, सहकारी समिति, मर्यादित उज्जैन म.प्र.।

..............................प्रतिवादीगण।

वादी/आवेदक की ओर से श्री अर्पित वर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी/अनावेदक की ओर से श्री पुरूषोत्तम तिवारी अधिवक्ता अधिवक्ता।

—::—आदेश—::—

(आज दिनांक—17.02.2023 को पारित किया गया)

01— इस आदेश के द्वारा वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आई.ए. नं–1/22 आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

02— वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि— वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की दुकान जिसका भूखण्ड कमांक— डी. 12 तथा भवन कं. 19, विकमादित्य क्लॉथ मार्केट फाजलपुरा उज्जैन (जिसे आगे वादग्रस्त दुकान से संबोधित किया जावेगा) में

17-2-23

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्गमीटर है। उक्त वादग्रस्त दुकान 28 वर्ष पुरानी होकर व्यवसायी उपयोग की है, जिसे वादी द्वारा पूर्व स्वामी से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया था। उक्त भूखण्ड मूलरूप से विकमादित्य क्लॉथ मार्केट सहकारी समिति मर्यादित, उज्जैन के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसे समिति के द्वारा रजिस्टर्ड लीज डीड के माध्यम से पहले पूर्व स्वामी को प्रदान किया गया था तथा पश्चात्वर्ती कम में वादी के द्वारा कय करने पर वादी के पक्ष में दिनांक 06.03.2020 में लीड डीड संपादित करते हुए प्रदान की गई। इस प्रकार वादी वर्तमान में समिति से प्राप्त लीज डीड व विकय पत्र के आधार पर हवाई हक के साथ स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त वादग्रस्त दुकान में वादी अपना कपडे का व्यवसाय वर्ष 2020 से सतत् रूप से संचालित कर रही है, उसी से वादी के परिवार का पालन–पोषण होता है। वादी ने उक्त रजिस्टर्ड पत्र व लीज डीड के आधार पर समिति से अनुमति प्राप्त कर नगर पालिक निगम उज्जैन में वादग्रस्त भूखण्ड पर अपना नाम स्वामी के रूप में अंकित करवाने हेतु आवेदित किया गया था जिस पर नगर पालिक निगम द्वारा विधिवत् आदेश पारित कर वादी का नाम स्वामी की हैसियत से दर्ज करते हुए उक्त नामातंरण की सूचना वादी को प्रदान की। वादग्रस्त भूखण्ड पर पूर्व भवन स्वामी के द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रथम मंजिल पर निर्माण करने हेतु प्रतिवादी कं. 1 के कार्यालय में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया तथा प्रतिवादी कं. 1 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की गई थी। उक्त वादग्रस्त दुकान का संपत्तिकर एवं प्रकाश कर आदि भी आवेदक ही स्वामी की हैसियत से निरंतर अदा कर रहा है। वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण भूमि सर्वे नं. 1281 कुल रकबा 7.716 हे. करबा उज्जैन के किसी भाग पर नहीं किया गया है।

03— दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादी कं. 3 द्वारा एक सूचना पत्र इस आशय का जारी किया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी उज्जैन म.प्र. पत्र कं. 1537 दिनांक 02.09.2022 करबा उज्जैन स्थित भूमि मूल सर्वे नं. 1281 खसरे में अभिलेखित कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 1.150 हे. पर स्थाई व अस्थाई निर्माणों को मौजा पटवारी/राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 एक तहसील उज्जैन द्वारा चिन्हित किया गया है जिसमें वादी का नाम उल्लेखित है। उक्त सूचना पत्र के माध्यम से वादी को सूचित किया गया कि वह अपना स्पष्टिकरण स्थाई/अस्थाई निर्माण अतिकमण के संबध में मय दस्तावेज 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा सीमा पश्चात् अवैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। वादी द्वारा उक्त सूचना पत्र का जबाब दिनांक 20.09.2022 को प्रतिवादी कं. 3 को कार्यालय में प्रस्तुत किया परंतु वादी को आशंका है कि प्रतिवादीगण मनमानी कार्यवाही करने को आतुर होकर अधिकारीगण के अधीन, राजनीतिक दबाव के अधीन, दूर्भावनापूर्वक वादग्रस्त दुकान में तोड–फोड करने एवं बलपूर्वक भूखण्ड का आधिपत्य प्राप्त करने हेतु तत्पर हैं। यद्यपि वादी की ओर से धारा 401 म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियत के अधीन प्रतिवादीगण को एक माह की अवधि का रजिस्टर्ड ए.डी. की डाक से एक सूचना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.11.2022 को भेजा गया परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कार्यवाही समाप्त नहीं की गई। अतः उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा, एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त दुकान में किसी प्रकार से आधिपत्य या हस्तक्षेप न करें तथा वादग्रस्त दुकान में किसी प्रकार की कोई तोडफोड न करें तथा वादग्रस्त दुकान का आधिपत्य वादी से नहीं छिने तथा उपरोक्त कार्य न ही किसी अन्य से कराए जाने का निवेदन किया गया।

17-2-23

(वरेन्द्र वर्मा)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

जिला-उज्जैन (म.प्र.)

एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY (12)

04– प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 11/2022 बाकिर अली रंगवाला वि. मध्यप्रदेश शासन अन्य में दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालनार्थ में कलेक्टर उज्जैन एवं आयुक्त नगर निगम उज्जैन को गोरधन तालाब को अतिक्रमण से व अवैध निर्माण से मुक्त कर रिपोर्ट मा. रा. हरित अधि. भोपाल को समय सीमा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। गोरधन सागर की भूमि सर्वे क्र. 1281 रकबा 7.716 हे. में से 1.150 हे. शासकीय भूमि पर स्थाई पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माण के संबंध में सीमांकन करवा कर सीमांकन रिपोर्ट की सूची तैयार करवाई गई जो पत्र के संलग्न मौका पंचनामा नक्शा एवं फिल्डबुक नजरी नक्शा एवं राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन में पाया कि उक्त तालाब की भूमि पर निर्माण किया गया, जिसे हटाया जाए विकमादित्य क्लॉथ मार्केट सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन द्वारा उक्त भूखण्ड की भूमि कहां से प्राप्त की गई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण उक्त भूमि गोरधन सागर की है। शासकीय भूमि पर अतिकमण कर अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा संपूर्ण कार्यवाही माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पालन में की गई है। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 1281 गोवर्धन सागर तालाब की भूमि है उक्त तालाब उज्जैन के पवित्र सप्त सागर में से एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पौराणिक तालाब है जो कि देशभर के धर्मालूजन की आस्था का केंद्र है। यह सागर पुराण प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खण्ड में उल्लेखित है किंतु वादी द्वारा उक्त तालाब की भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर अवैध निर्माण कार्य किया है जिसे हटाने का वैधानिक अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के प्रकाश में वादी की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है तथा माननीय न्यायालय को यह वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार एवं विचाराधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वत्व, हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

05– *आवेदन के निराकरण के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :–*

(01) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

(02) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

(03) क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

––00––

–::– सकारण निष्कर्ष –::–

–::–*विचारणीय बिन्दु कमांक–01 का निराकरण* –::–

06– सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया वाद, वादी के पक्ष में है, अर्थात क्या वादी द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण–दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में विकय पत्र, नगर पालिक निगम द्वारा सूचना पत्र, बिजली बिल, संपत्ति कर की रसीद, आधारकार्ड, फोटो, दैनिक अखबार पत्र, उज्जैन नगर पालिका द्वारा प्रेषित सूचना पत्र, भवन अधिकारी को प्रेषित उत्तर, धारा 401 का नोटिस, रसीद की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

7.2.23

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

07– प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन क्र. 1537/22 दिनांक 02.09.2022, कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन दिनांक 30.08.2022 बैठक कार्यवाही, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन पत्र क्र. 374/22 दिनांक 12.08.2022, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2022, कस्बा उज्जैन प.ह.न. 05 तहसील उज्जैन नक्शा, कस्बा उज्जैन प.ह.न. 05 तहसील उज्जैन नजरी नक्शा सर्वे क्र. 1281, फील्ड बुक सर्वे क्र. 1281 कस्बा उज्जैन, तहसीलदार उज्जैन का मौका जांच विषयक दिनांक 18.07.2022, भूमि सर्वे क्र. 1281 एवं रकबा 0.313 हे. पर मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताए अनुसार सूची, भूमि सर्वे क्र. 1281 का फोटो की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

08– प्रकरण में वादी के द्वारा अपने वादपत्र एवं आवेदन में व्यक्त किया गया है कि विवादित दुकान विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में स्थित है। वादी के द्वारा इस संबंध में सर्वे नं. 1312/1 रकबा 2.9780 हे. एवं सर्वे नं. 1312/2 रकबा 0.0840 हे. वर्ष 2022 का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उक्त सर्वे नं. पर थोक वस्त्र व्यवसायिक सहकारी समिति विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट का नाम भूमि स्वामी के रूप में स्थित है। प्रकरण में वादी के द्वारा विवादित दुकान क्रय करने का बयनामा दिनांक 06.03.2020 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिससे दर्शित होता है कि वादी के द्वारा विवादित संपत्ति मेसर्स अब्दुल मुत्तलिब से क्रय की गई है। वादी के द्वारा विवादित संपत्ति विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट संपत्ति से लीज पर लिए जाने के संबंध में लीजडीड दिनांक 06.03.2020 प्रस्तुत की गई है जिससे दर्शित होता है कि वादी द्वारा विवादित दुकान विक्रमादित्य क्लॉथ समिति से 30 वर्ष हेतु लीज पर प्राप्त की गई है। प्रकरण में वादी के द्वारा नगर निगम के द्वारा दिए गए सूचना पत्र की प्रति दिनांक 10.09.2020 प्रस्तुत की गई है जिसमें रजिस्टर्ड लीजडीड के आधार पर वादी का नाम नगर पालिका रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वादी के द्वारा विवादित संपत्ति के संपत्तिकर जमा करने की रसीद भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। वादी के द्वारा विवादित दुकान के फोटोग्राफ भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

09– प्रकरण में वादी के द्वारा प्रकरण क्र. 78ए/86 में भू–अभिलेख अधीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रकरण में थोक वस्त्र व्यवसायिक समिति जिसका वर्तमान में नाम विक्रमादित्य क्लॉथ समिति है, भी पक्षकार रही है जिसमें उनके द्वारा इस बात का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि निर्माणाधीन दीवार सर्वे क्र. 1312 में बनी हुई है। वादी के द्वारा भू–अभिलेख अधीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा सर्वे नं. 1312/1 रकबा 2.978 एवं सर्वे नं. 1312/2 रकबा 0.084 कुल रकबा 3.062 हे. भूमि खसरे में दर्ज होना बताई गई है। अतः रकबा निकालने पर 0.658 हे. भूमि अधिक होना बताई गई है तथा मौके पर सीमांकन करने से विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट का रकबा 3.166 हे. पर बाउण्ड्रीवॉल बनाकर मार्केट बनाए रखना बताया गया है। शेष 0.554 हे. भूमि खुली होना बताई गई है। उक्त प्रतिवेदन के साथ पंचनामा दिनांक 04.03.2011 भी संलग्न है।

10– प्रकरण में वादी के द्वारा तहसीलदार उज्जैन के द्वारा द्वितीय व्यव. न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 25.11.2019 की प्रति प्रस्तुत की गई है-जिसमें उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि सर्वे नं. 1312 पर वर्तमान में विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट निर्मित हो चुका है तथा घनी आबादी बन चुकी है जिससे मौके पर सीमांकन उपकरणों जैसे जरीब

17.2.23

(परेन्द्र वर्मा)
तुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

(13)

भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

अथवा ईटीएस मशीन चलाना संभव नहीं होगी। इस प्रकार स्वयं तहसीलदार उज्जैन के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में सर्वे नं. 1312 का सीमांकन करना संभव नहीं होना बताया गया है। प्रकरण में वादी के द्वारा तहसीलदार उज्जैन के आदेश दिनांक 09.05.2011 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा सर्वे नं. 1312/1 एवं सर्वे नं. 1312/2 पर विकमादित्य क्लॉथ मार्केट समिति के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

11— प्रकरण में वादी के द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन द्वारा थोक वस्त्र व्यवसायिक समिति को जारी पत्र दिनांक 10.05.87 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा उक्त मार्केट में स्वीकृत अभिन्यास में क, ख, ग, घ एवं ग—1 से रेखांकित भूमि को छोडकर शेष भाग हेतु निर्माण की अनुमति दी गई है। प्रकरण में वादी के द्वारा उक्त स्वीकृति का नक्शा भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा अनुमति प्रदान करने के पश्चात् ही समिति के द्वारा विवादित दुकान का निर्माण कार्य वर्ष 1987 में किया गया है। प्रकरण में वादी के द्वारा नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस दिनांक 16.09.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें नगर निगम के द्वारा वादी को जारी नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कं. 11/22 ***बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन*** में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुसार कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में हुई बैठक में गोवर्धन सागर से अतिकमण हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें सर्वे नं. 1281 में अभिलिखित रकबा 7.716 हे. में से रकबा 1.150 हे. भूमि पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माणों को चिन्हित किया गया है। अतः जिसमें वादी का नाम उल्लेखित बताया गया है तथा वादी से स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया है। वादी के द्वारा दिए गए जबाव की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा मुख्य रूप से अपने जबाव में यह बात व्यक्त की गई है कि उनके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पालन में की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.05.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय अधिकरण के द्वारा गोवर्धन तालाब उज्जैन पर किए गए अतिकमण को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि गोवर्धन सागर तालाब सर्वे नं. 1281 पर स्थित है। जबकि वादी के द्वारा विवादित दुकान सर्वे नं. 1312/1 एवं 1312/2 पर स्थित होना बताई गई है।

12— प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भूमि सर्वे क. 1281 के कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे. भूमि पानी के नीचे तथा 0.313 हे. पर सडक एवं वाटरवर्क्स तथा 1.150 हे. पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माण एवं शेष भूमि रिक्त पाई गई। उक्त सीमांकन रिपोर्ट के साथ पंचनामा नक्शा एवं फील्ड बुक तथा सर्वे नं. 1281 में निर्मित संरचनाओं की सूची संलग्न की गई है परंतु उक्त सीमांकन के समय वादी को या अन्य व्यक्तियों को जिनके द्वारा सर्वे नं. 1281 पर निर्माण करना बताया गया है, को सीमांकन करते समय कोई नोटिस दिया गया हो या उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया हो, ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त स्थिति में उक्त सीमांकन वादी पर बंधनकारी होना दर्शित नहीं होता है। उक्त सीमांकन के समय वादी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पूर्व में स्वयं तहसीलदार उज्जैन के द्वारा न्यायालय में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सर्वे नं. 1312 का सीमांकन किया जाना संभव नहीं है।

7-2-23

(वीरेन्द्र वर्मा)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

13– प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उ[illegible] विवादित संपत्ति रजिस्टर्ड बयनामे द्वारा क्रय की गई है तथा वादी द्वारा विवादित दुकान वि[illegible] क्लॉथ समिति से 30 वर्ष हेतु लीज पर प्राप्त की गई है तथा नगर निगम से अनुमति ले[illegible] उसके द्वारा भवन निर्माण किया गया है। नगर निगम रिकॉर्ड में भी वादी का नाम स्वामी के रू[illegible] दर्ज है। वादी के द्वारा विवादित दुकान का संपत्ति कर भी अदा किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि नगर निवेश उज्जैन के द्वारा विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट उज्जैन को दी गई अनुमति दिनांक 10.05.87 के आधार पर ही विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट समिति के द्वारा विवादित दुकान का निर्माण किया गया था अर्थात वर्ष 1987 से ही वादी या उसके पूर्व स्वामियों का विवादित दुकान पर आधिपत्य चला आ रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा प्रतिवादीगण को गोवर्धन सागर जो कि सर्वे नं. 1281 पर स्थित है, पर से अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया है परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित दुकान विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में स्थित है। जो कि सर्वे नं. 1312/1 व 1312/2 पर स्थित है। प्रतिवादी के द्वारा जो सीमांकन प्रस्तुत किया गया है। वह प्रथम दृष्टया नियमानुसार किया जाना दर्शित नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित दुकान पर व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन–पोषण किया जा रहा है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत ***गोपाल नारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 1979 जेएलजे 662*** प्रस्तुत किया गया है, उक्त न्यायदृष्टांत धारा 80 सीपीसी के संबंध में दिए जाने वाले नोटिस से एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के संबंध में पूर्व में पारित आदेश से संबंधित है जो कि इस प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्व ारा अपने जवाब में न्यायदृष्टांत ***गयाप्रसाद विरुद्ध प्रदुम्न एमपीएलजे 2010 भाग 4 नोट 311*** प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि संपत्ति कर रसीद स्वत्व का प्रमाण नहीं है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत से यह न्यायालय सहमत है परंतु प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी का विवादित संपत्ति पर आधिपत्य है।

14– प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित दुकान का आधिपत्यधारी है। ***न्यायदृष्टांत नगर पालिका परिषद मलाजखण्ड वि. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 (1) एमपीएचटी 48*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करने में वादी को स्पष्ट विधिक स्वत्व स्थापित नहीं करना होता है। वादी को केवल यह स्थापित करना होता है कि उसके पक्ष में उसके विधिक अधिकार के संबंध में एक फेयर प्रश्न है जिसका विचारण होना है। ***न्यायदृष्टांत रामेगोडा विरुद्ध एम. वरदप्पा नायडू एआईआर 2004 एससी 4609 में*** अवधारित किया गया है कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति के स्थापित आधिपत्य में होता है, उसका आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए। उसे मूल स्वामी भी वैधानिक प्रकिया अपनाकर ही हटा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचन एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित दुकान का आधिपत्यधारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

—::— ***विचारणीय बिन्दु क्रमांक–02 व 03 का निराकरण*** —::—

15– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया गया है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में पाया जाता है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित दुकान

(हस्ताक्षर) 17.2.23

(परेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

का आधिपत्यधारी है तथा उसके द्वारा विवादित दुकान पर व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित दुकान को तोड दिया जाता है तो वादी अपने परिवार के पालन–पोषण के अधिकार से वंचित हो सकता है तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जबकि यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उससे प्रतिवादी पक्ष को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

16– उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से भूखण्ड कं. डी–25 तथा भवन कं. 19, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट फाजलपुरा उज्जैन में कोई तोडफोड या हस्तक्षेप न करें।

17– इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन पत्र का व्यय प्रकरण के निराकरण पर व्यय के संबंध में होने वाले आदेश पर निर्भर होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

17.2.23

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
उज्जैन, (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

17.2.23

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
उज्जैन, (म0प्र0)

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

प्रधान प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायालय
उज्जैन
1–5–23